15/16

//राजस्व आदेश–पत्र अनुवृत्ति–पत्र//

मामला क्रमांक

प्रकरण कमाक 29/बी–121/2021–22

(1)	(2)	(3)
18/01/2022	**प्रकरण प्रस्तुत।**	

प्रकरण तहसीलदार जावर से प्रतिवेदन सहित प्राप्त। पृथक से नायब तहसीलदार खाचरौद से प्रतिवेदन लिया गया।

प्रतिवेदन अनुसार आवेदक संभागीय प्रबंधक म0प्र0रोड डव्लपमेंट कार्पो0 लिमि0 भोपाल द्वारा खाचरौद–सिद्धीकगंज–हाटपिपलिया मार्ग के चौडीकरण/उन्नयन में बाधक निम्नानुसार वृक्ष काटने की अनुमति चाही गई है:–

क्र	ग्राम का नाम	वृक्ष की प्रजाति						कुल वृक्षो की संख्या
		नीम	सोयामूल	सागौन	पीपल	बरगद	शीशम	
1	बापचाबरामद	4	2	0	0	0	0	6
2	बजाखेडी जसमत	3	0	2	0	0	0	5
3	सिद्धिकगंज	5	2	12	5	3	1	28
4	धुराडाकल	1	0	12	2	0	0	1
		14	4	26	7	3	1	40

उपरोक्त वक्षो की कटाई के सबंध में तहसीलार जावर के प्रतिवेदन अनुसार कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी सामान्य आष्टा द्वारा 12 सागौन एवं 17 सतकट कुल 29 वृक्षो एवं नायब तहसीलार खाचरौद के प्रतिवेदन अनुसार कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी सामान्य आष्टा द्वारा 7 नीम , 2 सोयामूल , 2 सागौन कुल 11 वृक्षो को काटे जाने पर अनापत्ति के आधार पर दी जाकर सहमती दी गई।

इस प्रकार तहसीलदार जावर एवं नायब तहसीलदार खाचरौद के प्रतिवेदन अनुसार संभागीय प्रबंधक म0प्र0रोड डव्लपमेंट कार्पो0 लिमि0 भोपाल द्वारा खाचरौद–सिद्धीकगंज–हाटपिपलिया मार्ग के चौडीकरण/उन्नयन में बाधक वृक्षो के सबंध में 12 सागौन के पेड , 17 सतकट पेड , 7 नीम के पेड, 2 सोयामूल के पेड , 2 सागौन के पेड इस प्रकार कुल 40 पेडो को काटे जो की अनुसंशा अपने प्रतिवेदन में की गई।

अतः तहसीलदार जावर एव नायब तहसीलदार खाचरौद के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये खाचरौद–सिद्धीकगंज–हाटपिपलिया मार्ग के चौडीकरण/उन्नयन में बाधक वृक्षो के सबंध में 12 सागौन के पेड , 17 सतकट पेड , 7 नीम के पेड, 2 सोयामूल के पेड , 2 सागौन के पेड इस प्रकार कुल 40 पेडो को काटे जाने, नियमानुसार लकडी को नीलाम किये जाने एवं परिवहन किये जाने की अनुमति की अनुसंशा सहित प्रकरण अग्रीम कार्यवाही हेतू श्रीमान की ओर सादर प्रेषित।

कलेक्टर महोदय
सीहोर

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व, आष्टा